

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 01 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

मणिभवनम होम फाइनैस जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेश शर्मा Unit No-12, 3<sup>rd</sup>  
Floor Mahima Trinity Plot no-5 Swej Farm Jaipur (Raj)

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी रमेश निवासी मन्धा वार्ड नं. 12, मन्धा मडनी जिला सीकर राज. 332402
2. रमेश सोनी पुत्र सांवरमल निवासी मन्धा वार्ड नं. 12, मन्धा मडनी जिला सीकर राज. 332402
3. उमेश कुमार सोनी पुत्र रमेश कुमार निवासी मन्धा वार्ड नं. 12, मन्धा मडनी जिला सीकर राज. 332402

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

**स्वीकृति आदेश**

दिनांक: 09 मार्च, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता सीमा शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः सावित्री देवी पत्नी रमेश, रमेश सोनी पुत्र सांवरमल व उमेश कुमार सोनी पुत्र रमेश कुमार की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा क्रमांक 40, ग्राम मण्ढा, ग्राम पंचायत मण्ढा-मदनी, पंचायत समिति पलसाना (पूर्व पंचायत समिति दांतारामगढ़) जिला

(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



सीकर राज. 332402 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 340 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में कल्याण पुत्र सुआलाल सेठ का बाड़ा, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में गोपाल पुत्र देबू नाई का बाड़ा है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹5,50,000/- रुपये (अक्षरे रुपये पांच लाख पचास हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 04.10.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 04.10.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः सावित्री देवी पत्नी रमेश, रमेश सोनी पुत्र सांवरमल व उमेश कुमार सोनी पुत्र रमेश कुमार की ओर से पुनर्भुगतान हेतु


  
 (मुकुल शर्मा)  
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा क्रमांक 40, ग्राम मण्डा, ग्राम पंचायत मण्डा-मदनी, पंचायत समिति पलसाना (पूर्व पंचायत समिति दांतारामगढ़) जिला सीकर राज. 332402** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 340 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में कल्याण पुत्र सुआलाल सेठ का बाड़ा, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में गोपाल पुत्र देबू नाई का बाड़ा है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **09 मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (मुकुल शर्मा)  
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
 (मुकुल शर्मा)  
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर